ग़ैर-मुस्लिम देशों में न्यायालय द्वारा तलाक़

उन्नीसहवाँ फ़िक़्ही सेमिनार (हांसोट, गुजरात) दिनांक 27-30 सफ़र 1431 हिजरी, 12 - 15 फ़रवरी 2010 ई॰ को आयोजित हुआ।

1- ग़ैर-मुस्लिम देशों में न्यायालय का जज यदि मुसलमान हो और वह फ़ैसला करते समय शरई नियमों का पालन करता है तो उसे मुस्लिम शासक का प्रतिनिधि मानते हुए निकाह तोड़ने के सिलसिले में उसका फ़ैसला विश्वसनीय होगा।

2- जिन ग़ैर-मुस्लिम देशों में सरकार की ओर से मुसलमानों के लिए शरई उसूलों के अनुसार फ़ैसले की व्यवस्था स्थापित नहीं है वहां के मुसलमानों के लिए आवश्यक है कि बुद्धिजीवियों और विद्वानों के परामर्श से दारूल क़ज़ा, शरई पंचायत या इन जैसे संस्थान स्थापित करें और अपने विवाद व झगड़ों में इन्हीं से सम्पर्क करें।

3- तलाक चूंकि एक अप्रिय कार्य है इसलिए इसे अपनाने से पहले पूरे तौर पर समझौते और निबाह की सूरत निकालनी चाहिए और तलाक़ व खुलअ से बचने की कोशिश की जानी चाहिए।

4- ग़ैर-मुस्लिम देशों के न्यायालय में पति क़ानूनी मजबूरी के तहत ग़ैर-मुस्लिम जज को आवेदन पत्र देता है कि मेरे निकाह का रिश्ता समाप्त कर दिया जाए, और जज अलग हो जाने का फ़ैसला करता है तो जज के फ़ैसले को तलाक़ बाइन माना जाएगा, अलबत्ता बेहतर है कि न्यायालय के बाद पति अपनी ज़बान से भी तलाक़ का शब्द कह दे।

5- यदि ग़ैर-मुस्लिम देशों के न्यायालय में ग़ैर-मुस्लिम जज के सामने औरत विवाह के रिश्ते को समाप्त करने के लिए आवेदन करती है और ग़ैर-मुस्लिम जज उसके पति की अनुमति से अलग हो जाने का फ़ैसला करता है, तो विश्वसनीय है वर्ना यह अलहदगी शरई तौर पर विश्वसनीय नहीं होगी, ऐसी सूरत में औरत या तो पति से ख़ुलअ प्राप्त करे या दारूल क़ज़ा व शरई पंचायत द्वारा निकाह को समाप्त कराए।

☆☆☆